Dr. Vandana Suman
Associate professor
Dept. of Philosophy
H.D. Jain College, Ara
M.A semester - I Philosophy CC-01
Indian Epistemology & Logic

'Sabda' (शब्द)

न्याय प्रमाणमीमांसा में प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान के अनन्तर 'शब्द' प्रमाण का निरूपण किया गया है। 'शब्द' ज्ञान का निरूपण करते हुए न्याय सूत्र के प्रणेता महर्षि गौतम ने कहा है कि "आप्त पुरुष के उपदेश 'शब्द' हैं।" तर्कभाषाकार केशव मिश्र के अनुसार — शब्द आप्त वाक्य है।

साधारणतः 'शब्द' का अर्थ एक सार्थक ध्वनि है किन्तु प्रमाण रूप में 'शब्द' का अर्थ 'आप्त वचन' अथवा 'प्रामाणिक कथन' से समझा जाता है।

"शब्द सुनने के पश्चात शब्दार्थ संगतिग्रह हुए व्यक्ति को पदार्थ (पद के अर्थ) का स्मरण होने पर उन्हीं से अज्ञात और अबाधित अर्थ विषयक जो विशिष्ट वाक्यार्थ ज्ञान होता है उसे 'शाब्दी प्रमा' कहते हैं और उसे कराने वाले शब्द को प्रमाण कहते हैं। उस शाब्दी प्रमा में पद ज्ञान करण (साधन) है, पदार्थ स्मृति अवान्तर व्यापार और शब्द बोध को फल माना गया है।"

न्याय सूत्र के भाष्यकार वात्स्यायन तथा नैयायिक जयंत मिश्र आदि ने 'आप्त' और उपदेश की व्याख्याएँ की हैं जो इस प्रकार हैं —

उपदेश — साधारणतः 'उपदेश' शब्द का अर्थ है — 'कहा गया'। अथवा

'नैयायिक' इस संबंध में 'आप्तोपदेशः
शब्दः' का अर्थ है — 'आप्त पुरुष के
द्वारा कहे गए वाक्य शब्द हैं।' स्पष्टतः
इसमें 'शब्द ज्ञान' की यह विलक्षणता
स्पष्ट होती है कि शब्द ज्ञान का
अनिवार्य लक्षण 'वाचकता' है। अपने
इसी 'वाचक' अर्थ में शब्द प्रमाण
प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों से भिन्न है।
प्रत्यक्षादि अन्य प्रमा अथवा
प्रमाण 'वाचकता' के गुण (शब्द के माध्यम
से व्यक्त किए जाने के गुण) से
रहित अथवा वाचकता गुण सहित
भी हो सकते हैं जबकि शब्द ज्ञान
की अनिवार्य उपाधि यह है कि वह
भाषा में व्यक्त किए जाने की योग्यता
रखता है। उद्योतकर ने न्याय वार्तिक
में स्पष्ट लिखा है कि शब्दोल्लेख से
युक्त होना ही शब्द ज्ञान की विशेषता
है। जयन्त भट्ट ने 'उपदेश' को
'अभिधान क्रिया' कहा है। किसी आप्त
वक्ता के द्वारा निर्दिष्ट वस्तु का
अवबोध 'अभिधान' क्रिया है।
इस प्रकार जयन्त भट्ट के अनुसार
शब्द ज्ञान सदैव वक्ता, तरणीय अथवा
अभिव्यक्ति के गुण से युक्त होता
है।

'अभिव्यक्ति' एक क्रिया
है जो श्रोता और वक्ता के
बीच सम्पन्न होती है। इसी अर्थ

में शब्द ज्ञान के लिए वक्ता तथा श्रोता — उपदेशक तथा उपदेष्टा — दोनों की आवश्यकता है। वह शब्द अथवा वाक्य जिसका कोई श्रोता नहीं है, शब्द प्रमाण की कोटि में नहीं आता। अतः श्रोता और वक्ता दोनों के उपस्थित होने पर भी यदि वाक्य का अर्थ श्रोता तक संक्रमित नहीं होता तो वाक्य को 'शब्द ज्ञान' की कोटि में नहीं रखा जा सकता। इसीलिए 'शब्द ज्ञान' की अपेक्षा 'शब्दार्थ ज्ञान' को ही 'शब्द-ज्ञान' की संज्ञा दी जाती है।

साधारणतः शब्द ज्ञान ध्वनि मूलक होता है। इस अर्थ में शब्द ज्ञान श्रावण ज्ञान है। जयन्त मिश्र के अनुसार ध्वन्यात्मकता शब्द का ज्ञान का अविच्छेद्य विशेषण है। वस्तुतः शब्द एक प्रकार का संकेत है जैसे धूम अग्नि का संकेत है। किन्तु शब्द संकेत धूमादि अन्य लिंगों (संकेतों) से इस अर्थ में भिन्न है कि धूमादि अथवा अनुमान के लिंग के लिए ध्वन्यात्मकता अनिवार्य नहीं जबकि शब्द संकेत ध्वनि मूलक होते हैं। इसीलिए धूम को शब्द नहीं कहा जाता। विशेष स्थितियों में शब्द दृश्य तथा स्मृतिमूलक भी होता है। जैसे — लिखे गए शब्द दृश्यमूलक शब्द ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। बहुधा मनुष्य लिपि को देखकर वाक्य का मानसिक उच्चारण किए बिना भी वाक्य का स्मरण करते हैं।

और वाक्यार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पद का बहुत उपदेश / पदका सामान्य अर्थ उसकी वक्ता / व्याख्याता की अपेक्षा वाक्यार्थ के संक्रमण में निहित है। इस प्रकार उपदेश के तीन घटक तत्व हैं —

(1) वक्ता अथवा उपदेशक वह व्यक्ति जो उपदेश करता है।

(2) श्रोता अथवा उपदेश्य वह व्यक्ति जो उपदेश को ग्रहण करता है।

(3) वाक्यार्थ का संक्रमण अथवा वक्ता के अभिप्राय का श्रोता द्वारा संग्रहण।

आप्त — साधारणतः शब्द ज्ञान के उपदेशक अथवा वक्ता को आप्त पुरुष समझा जाता है। किन्तु नैयायिक 'आप्त' शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में करते हैं।

वात्स्यायन ने न्याय सूत्र 1/1/7 पर भाष्य लिखते हुए 'आप्त' पद की व्याख्या की है। इसके

अनुसार 'आप्त वह है जो वस्तु का जिस रूप में साक्षात्कार करता है उसी रूप में वस्तु का कथन भी करता है।

आप्त वचन होने के कारण ही शब्द ज्ञान प्रतिदृष्ट से भिन्न है, इतिहास अथवा लोक परम्परा से प्राप्त

ज्ञान अथवा प्रतीति प्राप्त सम्भव नहीं होता।
न्याय मत में शब्द का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है।

(क) ज्ञान के विषय के अनुसार।
(ख) ज्ञान के स्रोत के अनुसार।

(क) ज्ञान के विषय के अनुसार शब्द के दो भेद हैं—

(अ) दृष्टार्थ
(ब) अदृष्टार्थ।

(अ) दृष्टार्थ - वात्स्यायन के अनुसार जिस वाक्य के विषय का इस लोक में प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वह वाक्य 'दृष्टार्थ' माना जाता है, यथा कोई विश्वसनीय व्यक्ति यदि यह कहता है कि 'वाराणसी' में गंगा बहती है। तो इस वाक्य से उत्पन्न शाब्दी प्रमा को 'दृष्टार्थ शब्द' की संज्ञा दी जाती।

(ब) अदृष्टार्थ — वात्स्यायन के मतानुसार जिस शब्द ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष का न होकर अनुमानादि से होता है वह अदृष्टार्थक ज्ञान है। इससे शब्दों से जिस शाब्दी प्रमा के विषय अलौकिक वस्तुएँ हैं, वह शब्द 'अदृष्टार्थक' कहलाता है। जैसे 'ईश्वर सर्वव्यापी' है।

(ख) ज्ञान के स्रोत के अनुसार—

न्याय शब्दों का एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण भी देखने को मिलता है। यह वर्गीकरण शाब्दी प्रमा की उत्पत्ति के आधार पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द दो प्रकार के हैं — (अ) लौकिक

28

(क) वैदिक । (ख) लौकिक — [illegible]

(ख) लौकिक — लौकिक शब्द : [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] द्वारा [illegible] यह कथन [illegible] [illegible] यह कथन सत्य भी हो सकता है और असत्य भी।

आगम मत में लौकिक शब्दों को प्रमाण का स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि लौकिक वाक्य व्यभिचारी और सांदिग्ध होते हैं जबकि आगम मतानुसार प्रमा को अव्यभिचारी और असंदिग्ध कहा गया है।

(ख.) वैदिक शब्द — वेदादि वचन जो, जो आगम मतानुसार ईश्वरीय वचन हैं, वैदिक शब्द कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त वेद वाक्यों के अनुवादादि, अर्थवाद आदि भी वैदिक वाक्यों की ही श्रेणी में रखे जाते हैं। वैदिक वचन तीन प्रकार के हैं —

(1.) विधिवाक्य ।
(2.) अर्थवाक्य ।
(3). अनुवाद ।

(1) विधिवाक्य — ये वाक्य आदेशमूलक अथवा आज्ञासूचक होते हैं, जैसे — "जो स्वर्ग पाने

का इच्छुक है वह यज्ञ करे।"

(2) अर्थवाक्य— जिन वाक्यों से स्तुति, निंदा, प्रकृति अथवा पुराकाल्प की अभिव्यक्ति होती है वे वाक्य अर्थवाक्य कहे जाते हैं, जैसे 'तमसो मा ज्योतिर्गमय'।

(3) अनुवाद — वेद विहित वाक्यों की व्याख्या, अनुवाद, पुनरावृत्ति आदि भी वैदिक वाक्य ही कहे जाते हैं।

मीमांसा मतानुसार समुक्त वेद शब्द प्रमाण के अधीन हैं किन्तु वेद किसी 'पुरुष के वचन' न होकर अपौरुषेय है। नैय्यायिक भी वेद को शब्द प्रमाणरूप स्वीकार करते हैं किन्तु न्याय मतानुसार वेद अपौरुषेय न होकर पौरुषेय है। न्याय मतानुसार वेद साधारण मनुष्यों की रचना न होकर ईश्वरीय हैं, किन्तु न्याय मत में ईश्वर को भी 'पुरुष विशेष' कहा गया है।" दूसरी ओर मीमांसक निरीश्वरवादी हैं अतएव उनके अनुसार वेद अपौरुषेय हैं।

मीमांसा मतानुसार शब्द प्रमाण के दो भेद हैं — (1) पौरुषेय और (2) अपौरुषेय
(1) पौरुषेय शब्द आप्त पुरुष के वचन हैं तथा अपौरुषेय शब्द वेदवाक्य हैं।

(2) अपौरुषेय शब्द भी दो प्रकार के हैं — सिद्धार्थक वाक्य और विधायक वाक्य।

(1) सिद्धार्थक वाक्य वे वाक्य हैं जो किसी पदार्थ के अस्तित्व को प्रकट करें, जबकि (2) विधायक वाक्य वे वाक्य हैं जो किसी

अनुसंधान की प्रेरणा दें। वेदान्त मत में शब्द प्रमाण को 'आगम' की संज्ञा दी गई है। वेदान्त परिभाषा में आगम का निरूपण प्रमाण के चतुर्थ स्थान में अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान तथा उपमान के अनन्तर किया गया है। 'आगम' की परिभाषा देते हुए वेदान्त परिभाषा में कहा गया है कि जिस वाक्य का तात्पर्य विषय अन्य प्रमाणों से बाधित नहीं होता वह शब्द प्रमाण है। वेदान्त परिभाषाकार के मतानुसार शब्द प्रमाण दो प्रकार के हैं — लौकिक एवं वैदिक वाक्य 'अपूर्व' होता है अर्थात अन्य किसी प्रमाण द्वारा ज्ञात नहीं होता जबकि लौकिक वाक्य जिस अर्थ को बतलाते हैं, वह अर्थ (विषय) प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाणों द्वारा भी ज्ञेय होता है। इस अर्थ में लौकिक शब्द अपूर्व नहीं है।

मानवीय ज्ञान के सम्पूर्ण परिदृश्य में शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शब्द ही वह साधन है जिनके द्वारा मानवीय ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन में भी शब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शब्द मानवीय अभिव्यक्ति के सर्वाधिक सक्षम साधन है। शब्दों के माध्यम से ही मनुष्य अपनी भावनाओं और अपने ज्ञान का आदान-प्रदान करते हैं।

अतएव यह कहा जा सकता है कि शब्द ही वह सेतु है जिससे होकर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से (मनुष्य की तरह) जुड़ता है। भारतीय ज्ञानमीमांसीय परम्परा में सर्वत्र शब्दों की महत्ता स्वीकृत की गई है तथापि चार्वाक प्रमाण रूप में शब्द को अस्वीकृत करते हैं। दूसरी ओर बौद्ध एवं वैशेषिक शब्दों को ज्ञान का महत्वपूर्ण साधन मानते हुए भी शब्द को स्वतंत्र प्रमाण की कोटि में नहीं रखकर इसका अन्तर्भाव अनुमान प्रमाण में करते हैं। प्रमाण रूप में शब्द की प्रमा के खंडन के अनेक प्रयासों के बावजूद प्रमाण रूप में शब्द का महत्वपूर्ण स्थान है।